

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दो बच्चियों सहित पांच की मौत, 18 जने घायल

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम भजनलाल शर्मा ने संवेदना जताई

बूंदी, (निसं)। स्टेट हाइवे-29 पर कंचन धाम आश्रम और खटकड़ के बीच एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलट जाने से गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में दो आठ वर्षीय बच्चियाँ समेत पांच लोगों की जान चली गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं को कोटा रैफर किया गया है।

प्रातः जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार महिला, पुरुष व बच्चे चौतरा का खेड़ा से मार्टुदा में आयोजित विवाह सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान कंचन धाम आश्रम से खटकड़ के बीच यह हादसा घटित हुआ। हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर चालक ने एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने का प्रयास किया। इसी कोशिश में ट्रैक्टर-ट्रॉली अपना संतुलन खो बैठी और पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल रेस्कु चलाकर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सभी शवों को



घायलों को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती करवाया।

मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजन धनराज ने बताया कि मार्टुदा गांव में आयोजित बैरवा समाज के सम्मेलन में चौतरा का खेड़ा गांव की युवती का विवाह होना था, जिसके लिए सुबह ही ट्रैक्टर-ट्रॉली से सम्मेलन में आने के लिए रवाना हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य अधिकारी ली तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संभागीय आयुक्त ने हादसे के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी

तरह की लापरवाही नहीं हो। उन्होंने घायलों के इलाज को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। इस दौरान बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.ओ.पी. सामर भी मौजूद रहे। कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश ने बताया कि हादसे में किरण (8), ज्योति (35), शांति (55), कोमल (8), कृष्णा (20) की मौत हो गई। दुर्घटना में सीता बाई (60), नटी बाई (40), धींसी बाई (75), सूरार बाई (20), बीना (16), पिंकी (30), संजना (8), करिश्मा (12), जीतू (10), उर्मिला (30), शिवानी (9), इच्छा

बाई, रोशन बाई, मायावती, मनभर और संतरा घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा ज्योति और बजरंगी बाई को गंभीर घायल होने पर कोटा के लिए रैफर किया गया है। कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र के खटकड़ गांव में हुए इस भीषण सड़क हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संवेदना प्रकट की है। जल्द ही घायल स्वस्थ हो मृतक परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा कि बूंदी में भीषण सड़क दुर्घटना में जनहानि एवं कई नागरिकों के घायल होने का समाचार सुनकर मन दुखी है।

■ **ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार महिला, पुरुष व बच्चे चौतरा का खेड़ा से मार्टुदा में आयोजित विवाह सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे**

जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित चिकित्सीय उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

विधायक सी.एल. प्रेमी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम जानी और घटना की जानकारी ली। इस मौके पर विधायक प्रेमी ने अस्पताल प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिये। विधायक सी.एल. प्रेमी ने इस घटना पर गहरा दुःख जताते हुए कहा कि इस घटना में सभी मृतक और घायल बैरवा समाज के लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर है। विधायक प्रेमी ने अस्पताल में संभागीय आयुक्त और बूंदी जिला कलेक्टर से वार्ता कर मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और घायलों को कम से कम 10 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की।

नाथद्वारा में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, एलएनटी मशीनें जब्त



राजसमंद में प्रशासन ने अभियान के तहत पोकलेन मशीन जब्त की।

राजसमंद, (निसं)। जिला प्रशासन राजसमंद द्वारा अवैध खनन और पहाड़ों की कटाई के खिलाफ सख्त रखा अपनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देशों के बाद नाथद्वारा उपखंड में त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त मशीनों को जब्त किया गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को अवैध खनन की सूचना पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा

पारीक ने बताया कि बीती रात सूचना मिली कि ग्राम मेरवलों की भागल में दो एलएनटी मशीनें और एक डंपर अवैध खनन कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नाथद्वारा तहसीलदार खमनौर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने नदी के अंदर एक एलएनटी मशीन को खनन कार्य करते हुए पाया, हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसके बाद एलएनटी मशीन को खान विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। इसी क्रम में अवैध पहाड़ी कटाई की रोकथाम के लिए भी नाथद्वारा उपखंड अधिकारी

के नेतृत्व में एक औचक निरीक्षण दल गठित किया गया। नाथद्वारा तहसीलदार अशोक चतुर्वेदी और नाथद्वारा तहसीलदार देलवाड़ा अरुण सिंह के साथ टीम ने ग्राम कोटड़ी का ढाणा में निरीक्षण किया। यहां एक एलएनटी मशीन बिना किसी स्वीकृति के अवैध रूप से पहाड़ पर खनन करते हुए पाई गई। इस मशीन को भी जब्त कर लिया गया और खान विभाग को सूचित कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी ने खान विभाग को इस मामले में पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

भीलवाड़ा, (निसं)। विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अधिनियम संख्या 1 ने 6 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास और 2 लाख 15000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि मामला 2023 का है। कोतवाली थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ झोपड़ी में सो रही एक साल की नाबालिग बच्ची को रात करीब ढाई बजे अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया। झुड़ियां में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद चार बजे उसे छोड़कर वह व्यक्ति फरार हो गया। सवेरे जब बच्ची ने अपनी मां को घटना के बारे में जानकारी दी तो मामला थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए संदिग्ध युवक कृष्णा उर्फ



आरोपी युवक।

जीतू पुत्र वीरेंद्र सिंह राजपूत को डिटेन कर उससे गहनता से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने घटना की रात अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पार्टी की थी और उसके बाद अपने दोस्त को घर छोड़ने वह घटनास्थल के निकट गया। दोस्त को छोड़ने के

■ **पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 2 लाख 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है**

बाद उसने दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया था। तत्कालीन डीएसपी नरेंद्र दायमा और उनकी टीम ने मामले में गहनता से जांच करते हुए आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इसके बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश 35 गवाह और 101 दस्तावेजों के आधार पर आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी युवक को आजीवन कारावास और 2 लाख 15000 के जुर्माने से दंडित किया है।

घर के बाहर खड़ी कारों में आग लगाई

उदयपुर, (कासं)। आपसी विवाद में एक युवक ने पड़ोसी की घर के बाहर खड़ी दो कारों में आग लगा दी। आग लगाने से पहले युवक चिल्लाया लेकिन परिवार के लोग जब बाहर आए तब तब वह कारों को आग के हवाले कर चुका था। घटना में एक कार जल गई, जबकि एक को पड़ोसियों ने पानी छिड़ककर बचा लिया। मामला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र सुदवास इलाके का है।

आग लगाने वाले संजय आचार्य का पड़ोस में रहने वाली महिला एडवोकेट नीतू के परिवार से विवाद था।

इस पूरी घटनाक्रम का सीसीटीवी भी समाने आया है। इस मामले में महिला एडवोकेट के पति सुनील जैन की ओर से प्रतापनगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। इस हादसे में एक कार पूरी तरह से जल गई, जबकि दूसरी कार में लगी आग पर समय रहते काबू पाया गया। इधर हादसे के बाद गुरुवार सुबह वकील प्रतापनगर थाने पहुंचे और घरने कारों में आग लगी थी और तेज लपटें में साफ दिख रहा है कि एक युवक हाथ में पेट्रोल की टैन लेकर आता है। वह दोनों कार पर पेट्रोल छिड़कता है। इसके

बाद माचिस की तिल्ली फेंक पर दोनों को आग के हवाले कर देता है। आग लगते ही तेज धमाका भी सुनाई देता है। प्रार्थी सुनील जैन स्टायम वेंडर है। रिपोर्ट में बताया कि घर के बाहर उनकी दोनों कार खड़ी थी। रात करीब 12.30 बजे पड़ोस में रहने वाला संजय आचार्य आया और चिल्लाते हुए हमें बाहर बुलाया। बाहर आकर देखा तो दोनों कारों में आग लगी थी और तेज लपटें उठ रही थी। सुनील जैन ने बताया कि संजय का पड़ोस में ही मकान है। उसने हमारी छिड़कियों की तरफ गलत तरीके

से सेट बैंक बना दिया। इसकी शिकायत यूआईटी भी की थी। शिकायत करने के बाद संजय आचार्य ने झगड़ा भी किया था। अब उसने कारों में आग लगा दी। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में वकील प्रतापनगर थाने के बाहर शामिल हुए। वकील आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद वे थाने के बाहर रोड पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। वकील नाथद्वारा अधिकारी को भी निर्लंबित करने की मांग कर रहे थे। वहीं इस मामले में वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी योगेश गोयल से भी मुलाकात की है।

घर पर पहुंची और बालक की उम्र संबंधी दस्तावेजों की मांग की गई तो उम्र की सत्यापित करे ऐसा कोई भी दस्तावेज बालक के घर पर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति को देखते हुए टीम द्वारा बालक ने जिस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, उस विद्यालय में पहुंचकर वहां से बालक के प्रमाणित दस्तावेज को देखा, वह जांचा तो उक्त दस्तावेज में बालक की आयु 16 वर्ष पाई गई। जिसके बाद आगे की कार्यवाही हुई तथा प्रशासन की टीम ने बालक के परिजनों को पाबंद करते हुए हिदायत दी और समझाया कि 21 वर्ष से कम आयु के बालक की शादी करना गैरकानूनी है। बाल विवाह रूकवाने गई टीम में बाल अधिकारिता विभाग के संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा, आउटरीच कर्मी संजय मेहरा, सुष्टि सेवा समिति से जिला समन्वयक भूपेंद्र सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन कार्डसलर महिमा पोचाल, लाडपुरा तहसील से नाथद्वारा तहसीलदार जनक लाल, कानूनगो योगेंद्र चौहान, पटवारी दिनेश, कुन्हाड़ी थाने से हेड कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह मय टीम उपस्थित रहे।

बाइक सवार को बचाने के चक्कर में तेल टैंकर पलटा

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर से 28 किलोमीटर दूर बारपाला में उदयपुर-हमदाबाद नेशनल हाइवे पर गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे एक तेल टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में टैंकर चालक को मामूली खरोंच आई।

हादसा सिंधु ढाबा के पास हुआ, जहां एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में टैंकर बेकाबू हो गया। टैंकर से फैले तेल के कारण यातायात डेढ़ घंटे तक बाधित रहा। सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास पुलिस सुबह नौ बजे मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल उदयपुर से खेरवाड़ा जाने वाले वाहनों को दूसरी लाइन पर डायवर्ट किया। उदयपुर से दो ममकल गाड़ियां बुलाई गईं जिन्होंने आनी की बीछरों से हाइवे पर फैले तेल को साफ किया। फ्रेन की मदद से पलटे हुए टैंकर को हटाया गया और डेढ़ घंटे बाद यातायात सामान्य कर दिया गया। मौके पर पुलिस टीम में संजय मीणा, जितेंद्र, विक्रम और नरेंद्र मौजूद रहे।

महिला की हत्या के मामले में पति व दो सौतेले पुत्र गिरफ्तार

नया गांव जाटान में स्थित बंद खान के भरे में पानी में महिला का शव मिला था

मालपुरा, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक विकास के निर्देशन में वृत्ताधिकारी मालपुरा आशीष प्रजापत एवं थानाधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में गठित विशिष्ट टीम द्वारा अज्ञात महिला के शव के मामले में ब्लाईड मर्डर का खुलासा करते हुये हत्या व लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मृतका के पति व उसके सौतेले दो पुत्रों को गिरफ्तार किया गया।

लाम्बाहिरसिंह थानाधिकारी राजकुमार ने बताया कि 18 अप्रैल को ग्राम नया गांव जाटान में स्थित पुरानी बंद पड़ी खान भरे में पानी में महिला के कपड़े तैरते मिले, जहां सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने कपड़ों की पोर्टली को खदान से बाहर निकालकर देखा तो कपड़ों की पोर्टली में एक महिला का शव मिला था, जिसके दोनों पैर कटे हुये तथा पोर्टली के अन्दर बंधे हुये थे। शव के साथ करीब 20 किलोग्राम का पत्थर बंधा हुआ था। लाश पुरानी होने से पानी से फूली हुयी थी। मौके पर पहचान नहीं होने पर



पाली : भारत-पाक सीमा पर चल रहे तनाव के बाद पाली पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर गुरुवार को एसपी की मौजूदगी में पाली शहर में प्लेग मार्च निकाला गया। एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को बढ़ते देख पाली शहर में सुरक्षा को लेकर माकूल व्यवस्था की गई। इसी को लेकर शहर के एसपी ऑफिस से प्लेग मार्च रवाना हुआ जो नवलखा रोड, प्यारा चौक, सोमनाथ मंदिर, धोला चौतरा, सूरजपोल होते हुए वापस एसपी ऑफिस जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान एसपी चुनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, सीओ सिटी उषा यादव, कोतवाली थाना प्रभारी अनिल बिश्नोई सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे।

महिला की हत्या के मामले में पति व दो सौतेले पुत्र गिरफ्तार

नया गांव जाटान में स्थित बंद खान के भरे में पानी में महिला का शव मिला था



पुलिस ने महिला की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

शिनाख्तीगी व वारिसों का पता लगाने के लिये महिला के शव को सुरक्षित मुर्दाघर में रखवाया गया एवं प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुये मृतका के शव को पोस्टमार्टम भिकेज बोर्ड से फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गयी। अज्ञात महिला की शिनाख्त हेतु व्हाट्सएप ग्रुपों, जीप नेट व सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ व ईस्तेहार जारी

करवाया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गये, वहीं एफएसएल टीम व एमयूआई टीम से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जाकर साक्ष्य संकलित भिकेज गये। मृतका के शव का पोस्टमार्टम भिकेज बोर्ड से करवाकर 22 अप्रैल को मृतका का अंतिम संस्कार करवाया गया। वहीं गजानन्द से सम्पर्क कर अज्ञात मृतका के फोटोग्राफ दिखाये तो गजानन्द ने

अपनी सौतेली मां धन्नी होना बताया, जिसको तलब कर दौरान पोस्टमार्टम मृतका के पांचेजात, शरीर पर पहनी वस्तुएँ दिखायी, जिसने मृतका को अपनी सौतेली मां धन्नी पत्नी जोशी बावरी निवासी स्याह थाना पचेवर हाल सांघोलिया होना बताया, उसने बताया कि करीब पांच माह पूर्व सुखलाल बावरी निवासी कांटीली से नाता विवाह कर उसके साथ रहना एवं मृतका द्वारा जेवराल पहनना बताया। प्रकरण में सुखलाल, उसके पुत्र बड़ीलाल व राकेश को डिटेन किया जाकर पूछताछ करने पर सुखलाल ने धन्नी से नाता विवाह कर लाना व अनबन होने पर मृतका के गहनों को प्राप्त करने के लिये अपने दोनों पुत्र राकेश व बन्नी लाल के साथ मिलकर योजना बनाकर धन्नी के दोनों पैर काटकर चांदी की कड़ियां व गहने निकाल कर हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के लिये उसके ही कपड़ों की पोर्टली में शव के साथ पत्थर बांधकर पानी से भरी खदान में डालकर घटना करना स्वीकार किया है।

रेस्टोरेंट में अज्ञात कारणों से आग लगी

■ **दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया**

धुआं देख क्षेत्र में दहशत फैल गई, बड़ी संख्या में मौके पर तमाशबीनों की भीड़ भी जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू

किया क्योंकि आग तीसरे फ्लोर पर लगी थी जिसके चलते फायर कर्मियों को आग बुझाने के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

जानकारी के अनुसार क्षेत्र में इस तरह से अवैध रूप से कई रेस्टोरेंटों का संचालन हो रहा है जहां सुरक्षा मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अनेदखों के चलते तेजी से इस तरह के अवैध ठिकाने पनप रहे हैं जो कि कभी भी बड़ी जनहानि का कारण बन सकते हैं।